प्रधान कार्यालय/पुनर्वित्त परिचालन विभाग/डाक/2025/04272

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनडी)/आरओडी/पुनर्वित्त परिपत्र सं. 9/2024-25
दिनांक: 7 जनवरी, 2025

सभी आवास वित्त कंपनियां

महोदय/महोदया,

पुनर्वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों के निदेशक मंडल में नामित निदेशक की नियुक्ति

यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी आवास वित्त कंपनी के निदेशक मंडल में एक नामित निदेशक नियुक्त कर सकता है:

क) यदि आवास वित्त कंपनी का राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त बकाया पुनर्वित्त, वित्तीय वर्ष की नवीनतम तिमाही समाप्ति तिथि के अनुसार, आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण का 30% या उससे अधिक है; या

ख) यदि आवास वित्त कंपनी का राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त बकाया पुनर्वित्त ₹10,000 करोड़ या उससे अधिक है एवं वित्तीय वर्ष की नवीनतम तिमाही समाप्ति तिथि के अनुसार आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण का 15% या उससे अधिक है; या

ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी नियुक्ति आवश्यक है, भले ही उपरोक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट ऋण की शर्तें पूरी होती हों या नहीं, ताकि राष्ट्रीय आवास बैंक की अपनी ऋणदाता के रूप में हितों की रक्षा की जा सके। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जहां आवास वित्त कंपनी का परिचालन ऐसे तरीके से किया जा रहा हो जो कंपनी की राष्ट्रीय आवास बैंक को पुनर्वित्त सुविधा(ओं) का आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान करने की क्षमता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता हो।

2. यह कार्यवाई पुनर्वित्त व्यवस्था के अंतर्गत ऋणदाता-से-उधारकर्ता दायित्व के रूप में लागू किया गया है और यह सभी वर्तमान में चल रही और संभावित पुनर्वित्त व्यवस्थाओं पर लागू होगा, जिसमें आवश्यक संशोधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए जा सकते हैं।

भवदीय,

ह0
(योगेश पंचाल)
उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाइट: www.nhb.org.in ई. मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone: 011-3918 7000 Fax: 011-2464 9030
Website: www.nhb.org.in E-mail: ho@nhb.org.in

"बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है"